बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)
का०आ०सं०–अ०सां०नि० / स्था०17–05 / 2023 – 61 , पटना, दिनांकः–20/02/24

कार्यालय आदेश

श्री धीरज कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बिहियाँ, भोजपुर सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना प्रतिनियुक्त अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के विरूद्ध निदेशक, भू–अर्जन–सह–अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1294(15) / रा० दिनांक–01.07.2023 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक–596 / स्था० दिनांक–03.05.2023 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०–222 सहपठित ज्ञापांक–1325 दिनांक–27.07.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), भोजपुर, आरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा इस विषय के संबंध में जानकारी रखने वाले पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने का निदेश जिला पदाधिकारी, भोजपुर को दिया गया। जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के आदेश सं०–130 / 2023–24 सहपठित ज्ञापांक–1181 / स्था० दिनांक–14.08.2023 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जगदीशपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री धीरज कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अधीन अतिक्रमण वाद संख्या–04 / 2013–14 में धारा–3(1) के तहत खास सूचना चिन्हित 22 अतिक्रमणकारियों को निर्गत करने जिसमें तीन अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमित लोक भूमि खाता–267, खेसरा–553 एवं खाता–266, खेसरा–530 का अतिक्रमण मुक्त किये जाने, शेष अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमित भूमि को अपने पदस्थापन अवधि में इनके द्वारा नहीं हटाये जाने, दिनांक–21.08.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC वाद संख्या–8204 / 2017 में प्रतिशपथ पत्र दायर किये जाने जिसका ओथ नं०–63423 दिनांक–21.08.2019 है, इनके द्वारा पूर्णरूपेण अतिक्रमण मुक्त किये बिना प्रतिशपथ पत्र दायर किये जाने, अपने पदस्थापन अवधि में अतिक्रमण हटाने / मुक्त करने से संबंधित किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किये जाने, आरोप में वर्णित कर्त्तव्यहीनता के कारण जिला प्रशासन के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विपरीत स्थिति उत्पन्न किये जाने, माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद CWJC संख्या–8204 / 2017, सभा सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–02.05.2023 को सुनवाई के क्रम में दिये गये निदेश के आलोक में

तत्कालीन अंचलाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में आरोप पत्र गठित किये जाने संबंधी आरोप लगाये गये हैं।

3. समाहर्त्ता, भोजपुर, आरा के पत्रांक–4644/रा० दिनांक–16.11.2023 के द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भोजपुर, आरा का संचालन प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा गया है। उक्त भेजे गये संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, भोजपुर, आरा ने निम्न निष्कर्ष दिया है :–

''तत्कालीन अंचलाधिकारी, बिहियाँ के विरूद्ध आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी के जवाब से यह स्पष्ट है कि उनके पदस्थापन काल 03.03.2019 से 07.08.2020 तक की अवधि में विषयांकित अतिक्रमण वाद सं०–04/2013–14 के आलोक में अतिक्रमण हटाने की अंतिम रूप से कार्रवाई नहीं की गई थी। साथ ही अतिक्रमण वाद सं०–04/2013–14 का अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अतः श्री धीरज कुमार आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप सं०–01 एवं 02 पूर्णतः प्रमाणित करने में साक्ष्य का अभाव है। साथ ही आरोपित पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया है कि उनके पदस्थापन काल में बाढ़ एवं कोविड के लॉकडाउन के कारण ससमय कार्रवाई में बाधा हुई। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप पूर्णतया प्रमाणित करना संभव प्रतीत नहीं होता है।''

4. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–2104 दिनांक–14.12.2023 द्वारा प्राप्त संचालन–सह–जाँच प्रतिवेदन को मूल रूप से संलग्न कर अपर समाहर्त्ता, भोजपुर, आरा को वापस भेजते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–15548 दिनांक–06.12.2017 के कंडिका–5 में दिये गये निदेश के आलोक में अपने निष्कर्ष को अभिलेखित कर संचालन प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया गया।

5. समाहर्त्ता, भोजपुर, आरा के पत्रांक–325/रा० दिनांक–30.01.2024 द्वारा श्री धीरज कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संलग्न कर भेजे गये संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भोजपुर, आरा ने मंतव्य दिया है कि

''निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–2104 दिनांक–14.12.2023 के आलोक में विभागीय संचालन से संबंधित आदेश फलकों एवं संलग्न कागजातों के आधार पर निदेशानुसार पुनः मंतव्य अंकित किया जा रहा है। आदेशफलक सं०–07 पर दिनांक–10.11.2023 को संचालन पदाधिकारी का पूर्व के मंतव्य के क्रम में पुनः विभागीय कार्यवाही के आरोप एवं उपस्थापन पदाधिकारी के जवाब जो कि आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण पर था तथा संलग्न कागजातों, साक्ष्यों आदि के समीक्षा पश्चात स्पष्ट पाया गया कि साक्ष्यों के अभाव एवं उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आरोप सं०–1 एवं 2 को प्रमाणित नहीं पाया गया।''

अतः संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भोजपुर, आरा द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में दिये गये मंतव्य से सहमत होते हुए श्री धीरज कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बिहियाँ, भोजपुर सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना प्रतिनियुक्त अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को आरोप मुक्त किया जाता है।

ह०/–
(संजय कुमार पंसारी)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–05/2023 -3516 /पटना, दिनांकः–20/02/24

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. निदेशक, भू–अर्जन–सह–अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1294(15)/रा० दिनांक–01.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को उनके पत्रांक–596/स्था० दिनांक–03.05.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. उप निदेशक(सां०), पटना प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार,पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री धीरज कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, बिहियाँ, भोजपुर सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना प्रतिनियुक्त अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/2/24
निदेशक